63वाँ वार्षिक रिपोर्ट

2022–2023

अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	2
निदेशकों का प्रतिवेदन	3
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	7
भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	17
तुलन पत्र	18
लाभ और हानि विवरण	20
नकद प्रवाह विवरण	21
खातों के नोट्स	22
महत्वपूर्ण लेखाकरण नितियां	31
दस वर्षीय संकलन	40

निदेशक मंडल

श्री वाई. के. वैश्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
श्री सुनिल कुमार सिंह	निदेशक (06.09.2022 तक)
सुश्री सुषमा बत्रा	निदेशक (06.09.2022 से)
श्री एस. के. वेंकटचार्यलु	निदेशक
श्री कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी	निदेशक

लेखा परीक्षक

सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी	सनदी लेखाकार, बेंगलोर

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय :

एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560 032.

पंजीकृत पहचान संख्या

U74210KA1960PLC001379

निदेशकों की रिपोर्ट 2022-2023

सेवा में,

शेयरधारकों

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के निदेशकों को आपकी कंपनी की 63वीं वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के साथ प्रस्तुत करने में अति प्रसन्नता हो रही है।

कार्य प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण :

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 22.12.2015 को कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी। सीसीईए ने 09.03.2016 को सभी कर्मचारियों को वीआरएस पर कार्य मुक्त करने की मंजूरी दे दी। वर्ष के दौरान कोई बिक्री नहीं हुई क्योंकि लंबे समय से कोई संचालन नहीं है। 2022-23 में आय केवल ब्याज से प्राप्त है। 2021-22 में रु. 19.31 लाख की तुलना में वर्ष के लिए घोषित आय रु. 42.11 लाख थी। वर्ष 2021-22 में रु. (17.97) लाख की तुलना में वर्ष के लिए कर पूर्व समेकित लाभ रु. 19.80 लाख था। 2021-22 में रु. 957.06 लाख की तुलना में वर्ष के लिए कर पश्चात समेकित लाभ रु. 19.80 लाख थी।

वित्तीय परिणाम :

(रू लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2023	गत वर्ष 31.03.2022
कुल आय	42.11	19.31
ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ	19.80	(17.97)
घटाएं : ब्याज	-	-
घटाएं : मूल्यह्रास	-	0.00
कर पूर्व लाभ	19.80	(17.97)
कर हेतु प्रावधान	-	(975.03)
कर पश्चात लाभ	-	957.06
जोड़े : शेष राशि लाभ और हानि खाते से	-	0.00
घटाएं : सामान्य रिजर्व को स्थानांतरण	-	0.00
कर एवं समायोजन पश्चात कुल लाभ	19.80	957.06

उद्यम की प्रकृति में परिवर्तन :

वर्ष के दौरान कोई व्यावसायिक आय नहीं थी। वर्ष 2022-23 में, कंपनी को ब्याज के रूप में रु. 42.07 लाख की आय प्राप्त हुई है।

कंपनी के मामलों की दशा :

22.12.2015 को हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस पैकेज के साथ टीएसपीएल को बंद करने की मंजूरी दी। डीएचआई पत्र दिनांक 07.01.2016 के अनुसार, कंपनी ने वीआरएस पर सभी कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया तथा कंपनी की चल और अचल संपत्ति का निपटान किया और भारत सरकार के रु. 467.31 करोड़ के ऋण को माफ कर दिया और 06.09.2016 को बीआईएफआर से बाहर आ गई। कंपनी ने लेनदारों और एसबीआई के साथ ओटीएस भी बनाया। शेयरधारकों ने अपनी 59वीं बैठक में कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, बेंगलूरु को एक आवेदन करने के लिए निदेशक मंडल को अपनी सहमति दी और कंपनी के निदेशक मंडक को ऐसे सभी मामलों, कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया है जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत आवश्यक हैं। बोर्ड ने कंपनी की देनदारियों और लंबित कानूनी मामलों को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं तथा भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति के आधार पर सदस्यों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए 7 जनवरी 2021 को आरओसी के पास आवेदन दाखिल किया। कंपनियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक ने सभी देनदारियों को पूरा करने की सलाह दी है। कंपनी आरओसी, कर्नाटक के निर्देशों का पालन करने के लिए भारत सरकार के समर्थन से देनदारियों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

अंश पूंजी :

31 मार्च 2023 को कंपनी की भुगतान की गई प्रदत्त अंश पूंजी रु 843.50 लाख थी। अंश पूंजी में कोई बदलाव नहीं है। समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया है।

अन्य रिर्जव प्रेषित के लिए प्रस्तावित राशि :

कंपनी ने रिजर्व एवं सरप्लस को रु. 19.80 लाख का चालू वर्ष का लाभ हस्तांतरित किया तथा 31.03.2023 को कंपनी के रिजर्व खाते में रु. (10704.57) लाख है। 31.03.2023 को कंपनी की निवल मूल्य रु. (9861.07) लाख है।

लाभांश :

कंपनी भारत सरकार से निधि के लिए निर्भर है और वर्ष 2022-23 के लिए निदेशक द्वारा कोई लाभांश की सिफारिश नहीं की जा रही है।

जमा राशि :

31 मार्च 2023 तक कंपनी ने सामान्य जन से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। कंपनी में कोई लघु जमाकर्ता नहीं है।

बोर्ड के बैठकों की संख्या :

निदेशक मंडल की निम्नलिखित बैठकें वित्तीय वर्ष 2022-23 मे आयोजित की गई :

क्रमांक	बैठकों की तिथि	बोर्ड की शक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	25.07.2022	4	3
2.	27.09.2022	4	3
3.	02.11.2022	4	3
4.	03.03.2023	4	4

निदेशक एवं मुख्य प्रबन्धकीय व्यक्ति :

i) सुश्री सुषमा बत्रा, (डीआईएन : 09751794), उप सचिव, एमएचआई को डीएचआई आदेश सं. 7(3)/98-PE.IV दिनांक 06.09.2022 के तहत श्री सुनिल कुमार सिंह, के स्थान पर कंपनी के अंशकालिक निदेशक के रूप में 06.09.2022 से नियुक्त किया गया था।

ii) श्री वाई. के. वैश्य (डीआईएन : 09260752) को डीएचआई आदेश संख्या 6(3)/2008-PE.IV दिनांक 06.09.2022 के तहत एक साल की अवधि के लिए जो 01.08.2022 से लागू होता है या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में आगे बढाया गया था।

लेखा परीक्षकों की नियुक्ति :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंर्तगत भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मेसर्स सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, बेंगलोर को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है जिसका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा भुगतान किया गया हो या जिसका पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (q) के साथ कंपनी (प्रबन्धकीय कर्मचारी की नियुक्ति एवं वेतन) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं (3) में वर्णित सीमा से अधिक हो।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की रिपोर्ट संलग्न है।

मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध

कंपनी में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। समीक्षा अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार प्रकटन

कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है। रिपोर्ट के तहत, वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई शिकायत नहीं मिली है।

स्वतंत्र निदेशक से घोषणा और आईआईसीए द्वारा रखे गए डाटा बैंक में पंजीकरण

कंपनी बंद होनेवाली है और कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, तदनुसार कंपनी में यह प्रावधान लागू नहीं है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर का विवरण और उसके कारण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है, तदनुसार कंपनी में यह प्रावधान लागू नहीं है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत कंपनी के खिलाफ कोई आवेदन नहीं किया गया है तथा कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

धोखाधडी रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधडी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई।

निगमित संचालन पर रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों पर लागू केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित संचालन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम 2013, के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी निगमित संचालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और निगमित संचालन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए उचित कार्रवाई शुरू की है। कंपनी ने लंबे समय से किसी भी संचालन पर काम नहीं किया है और कंपनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक द्वारा अनुरक्षित कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने की प्रक्रिया में है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

भारत सरकार के निर्देशानुसार राजभाषा अधिनियम, नियम एवं नीति को लागू करने की दिशा में कंपनी में प्रयास निरंतर जारी है।

सतर्कता क्रिया-कलापें

चूंकि कंपनी बंद हो रही है और कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए सतर्कता गतिविधियों से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएं

इस वित्तीय विवरणों से संबद्ध के अंत तथा इस रिपोर्ट की तिथी के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

संबंधित पार्टी लेनदेन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुई है।

ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी और निवेश के विवरण का नोट्स वित्तीय विवरणों की लेखा में दिया गया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति से संबंधित विवरण :

कंपनी ने लंबे समय से कोई संचालन नहीं किया है, न्यूनतम खर्च किया गया है और किसी भी आंतरिक लेखा परिक्षक को नियुक्त नहीं किया गया है। हालाँकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए मेसर्स उमेशा सी के और एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवा ली है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी :

देयताओं के भुगतान के लिए कंपनी पूरी तरह से भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान पर निर्भर है और इसलिए कंपनी सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने की स्थिति में नहीं है। संचालन से कोई लाभ नहीं है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन :

(क) वार्षिक लेखा को तैयार करने में लागू लेखा मानकों के पालन के साथ द्रव्य विचलन से संबंधित उचित व्याख्यान दिया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों चुनी और उन्हें स्थिरता से लागू किया एवं ऐसे निर्णय तथा अनुमान लिये जो वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी

के मामलों की स्थिति तथा उसी समयावधि के लाभ हानि का सहीं एवं स्पष्ट दृश्य देने में तर्कसंगत और विवेकी थे।

(ग) निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो सके और छल एवं अन्य अधिनियमों का पता लगाया जा सके।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को न चलते हुए उपक्रम के आधार पर तैयार किया है;

(ङ) निदेशकों ने सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाया है जिसका पालन कंपनी को करना है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और ये प्रभावी ढंग से चल रही हैं।

(च) निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों के पालन हेतु उचित पद्धति बनायी है और ऐसी पद्धतियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से चल रही है।

निदेशक एवं मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक :

श्री वाई. के. वैश्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सुश्री सुश्मा बत्रा, निदेशक
श्री कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी, निदेशक
श्री एस. के. वेंटकचार्यलु, निदेशक

लेखा परीक्षा समिति की रचना का प्रकटीकरण :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार कंपनी लेखा परीक्षा समिति के गठन के लिए पात्रता मानदंड के अंतर्गत नहीं आती है।

कंपनी की जोखिम प्रबन्धन नीति :

कंपनी की कोई भौतिक संपत्ति नहीं है। चूंकि कंपनी बंद हो रही है, जोखिम प्रबंधन नीति लागू नहीं हुई है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी विलयन :

कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलग्न नहीं है, इसलिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134 के अनुसार जानकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

आभारोक्ति

आपके निदेशक भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आभारी है उनके निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए।

निदेशक मंडल की आज्ञा से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

ह/-
(वाई. के. वैश्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थल : बैंगलोर
दिनांक : 27.07.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
माननीय सदस्य,
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड,
एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560 032.

1. वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन :

हमने **तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड** (कंपनी) जिसका **CIN:U74210KA1960PLC001379** के स्व-मानकीकृत वित्तीय कथनों, जो 31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र, लाभ और हानि के विवरण, तथा वर्ष के अंत के नकद प्रभाव विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट जिसमें सार्थक वित्तीय नीतियों के साराँश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते है।

क. तुलन पत्र के मामले में, यथा 31 मार्च 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति :

ख. लाभ और हानि के विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **लाभ** : और

ग. नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा परिक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे रिपोर्ट के लेखा परीक्षक के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी की गई नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हामारी लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन जरूरतों और नैतिक आचार संहिता के साथ पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले :

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वह मामलें हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

2. स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन पर प्रशासन का दायित्व हो की जिम्मेदारियां :

क. कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम के धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित हमें सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुती के लिए प्रासंगिक है जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधडी या त्रुटि के कारण।

ख. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन जिम्मेदार है जो कि कंपनी की क्षमता गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने का आकलन, प्रकटीकरण, जो लागू है, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले और गोइंग कंसर्न को लेखांकन के आधार पर उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी के संचालन को समाप्त करने या बंद करने का इरादा रखते है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

ग. वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

3. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य यह होता है कि वित्तीय विवरणियों में कोई गलत विवरण नहीं दिया गया है तथा उचित स्थिति प्रकट करता है और सामग्री विवरण चाहे उचित हो या जालसाजी या चूक हो, से मुक्त है तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के साथ प्रस्तुत करें । उच्च स्तर पर आश्वासन के साथ लेकिन गारंटी के बिना लेखा परीक्षण एसएएस के आधार पर किया जाता है जिसमें गलत विवरण होने की संभावना होती के कि अगर कोई त्रुटियां हो तो उन्हें इन वित्तिय विवरणियों के आधार पर कोई आर्थिक निर्णयों पर वैयक्तिक रुप से प्रभवित न हो।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लघन शामिल हो सकता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोइंग कंसर्न के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्य पर आधारित हैं।

वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करतें हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में सूचित किया है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारियों का विवरण इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में शामिल है।

मामले का प्रमुखता

1. टिप्पणी सं : 13.26 - गोइंग कंसर्न

कंपनी ने लांबे समय से वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया है और इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। चूंकि

कंपनी समापन की प्रक्रिया में है, इसलिए कंपनी के खातों की तैयारी, गोइंग कंसर्न बनने की अवधारणा लेखांकन मानक - 1 "लेखा नीतियों का प्रकटीकरण" के अनुसार पालन नहीं किया गया है। इसलिए, कंपनी की सभी संपत्तियों और देनदारियां रिपोर्टिंग तिथि पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

2. टिप्पणी सं : 13.17 - कंपनी के अन्य चालू देयताएं रु. 55.34 करोड़

2018-19, 2019-20 और 2020-21 को समाप्त हुए वर्षों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण में अन्य चालू देयताएं को कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड (जनवरी 2019) को भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि के गलत लेखांकन के कारण रु. 55.23 करोड़ से अधिक बताया गया था जो निम्नलिखित के मद्देनजर भारत सरकार को देय है :

i) भारत सरकार ने 2016-17 के दौरान ऋण को खारिज कर दिया था।

ii) कंपनी ने 2016-17 के दौरान भारत सरकार के ऋण और रु. 467.07 करोड़ के ब्याज को पहले ही खारिज कर दिया था।

iii) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 18.01.2018 के पत्र के माध्यम से कंपनी को चल और अचल संपत्ति की बिक्री आय से सभी संस्थाओं के लिए कंपनी द्वारा बकाया दावों/देयताओं को निपटाने का निर्देश दिया था।

पिछले वर्षों में इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

अन्य मामलें

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी आदेश (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) 2020 द्वारा यथा अपेक्षित और कंपनी की लेखा-बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, जैसे कि हमने उचित समझा है और हमें दी गई सूचना पैरा 3 एवं 4 एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार **अनुलग्नक बी** में विवरण दिया है।

2. कंपनी अधिनियम के धारा 143(3) के अंतर्गत, हम रिपोर्ट करते है

(क) लेखा परीक्षा के जरुरी कागजात तथा आवश्यक जानकारी हमें दी गई स्पष्टीकरण के आधार पर हमने प्राप्त की है।

(ख) हमारी राय में खाते की उचित पुस्तकों की आवश्यकता के अनुसार कानून द्वारा कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है;

(ग) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण कंपनी द्वारा रखे गए खातों की पुस्तकों के साथ समझौता का निपटान कर रहे हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनी के नियम 7 (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशकों द्वारा प्रकटिकरण प्राप्त हुआ कि 31 मार्च 2023 को नियुक्तित कोई निदेशक अयोग्य नहीं है तथा इसे बोर्ड निदेशकों ने रिकार्ड में लिया कि 31.3.2023 को कोई निदेशक अयोग्य नहीं है ।

(च)कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के तहत इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में, **अनुलग्नक सी** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और

(छ) अन्य मामलों में शामिल होने के संबंध में नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कंपनियों (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, में हमारी राय और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

i. कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमे नहीं हैं जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों

ii. कंपनी के पास व्युत्तपन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेय थी; तथा

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. *मुद्रा के विमुद्रीकरण से संबंधित खंड को हटा दिया गया है।*

v. (i) अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, जैसा कि बही खातों में प्रकट किया गया है, के अलावा कोई भी धन अग्रिम या ऋण या निवेश (ना तो उधार ली गई धनराशि ना ही शेयर प्रीमियम ना ही कोई अन्य स्त्रोतों ना ही कोई भी प्रकार की निधियों) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) में, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कुछ प्रदान करें;

(ii) अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, जैसा कि बही खातों में प्रकट किया गया है, के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियां) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि फंडिंग पार्टि, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी), द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कुछ प्रदान करें;

(iii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसके कारण हमें विश्वास ना हो कि उप-धारा (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

vi. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी के पास दस्तावेजों के साक्ष्य द्वारा समर्थित आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है और आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कोई प्रक्रिया नहीं है और इसलिए, कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

2. कंपनी पर भारत सरकार का रु. 5392 लाख तक का कर्ज बकाया है। कंपनी ने भारत सरकार से इसकी छूट मांगी है। भारी उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि कंपनी के बंद होने पर इसे माफ कर दिया जाएगा। भारत सरकार को देय राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है।

3. कंपनी ने विशिष्ट योजनाओं के लिए भारत की केंद्र सरकार की ओर से और उसकी ओर से धन प्राप्त किया है और समान रूप से नियमों और शर्तों के अनुसार / उपयोग के लिए जिम्मेदार थे और फंड के विचलन की कोई स्थिति नहीं थी।

कृते सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 003654एस)

सीए. एस. श्रीनिवास
भागीदार
सदस्यता संख्या:007951
यूडीआईएन : 23007951BHAVES2718

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समदिनांक पर वित्तीय विवरण का अनुलग्नक

अनुलग्नक ए : वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशवर संदेह को बनाए रखते हैं । हम यह भी :

1. वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचाने और उनका आकलन चाहे वो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिम ऑडिट प्रक्रिया के डिजाइन और निष्पादन के प्रति उत्तरदायी हो, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। सामग्री के गलत विवरण का पता ना लगाने का जोखिम जो धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाले से ज्यादा त्रुटी के परिणामस्वरूप होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को रद्द करना शामिल हो सकता है।
2. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करें जो लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करने जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।
3. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
4. प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन के गोइंग कंसर्न के आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, क्या ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो एक गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यानाकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने को बंद करना पड़ेगा। कंपनी के मामले में, चूंकि इसका संचालन काफी समय पहले बंद हो चुका है और इसकी पूरी निवल संपत्ति नष्ट हो गई है, इसलिए गोइंग कंसर्न के आधार पर खाते तैयार नहीं किए गए है।
5. खुलासे सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और वित्तीय विवरणों की सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय दें।

शासन के साथ आरोपित मामलों से संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें है। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामलें के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामलें का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों की यथोचित अपेक्षा होगी जिससे सार्वजनिक हित लाभ का पल्ला झुक सकता है।

कृते सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 003654एस)

सीए. एस. श्रीनिवास
भागीदार
सदस्यता संख्या:007951
यूडीआईएन : 23007951BHAVES2718

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समदिनांक पर वित्तीय विवरण का अनुलग्नक

अनुलग्नक बी : कंपनी (ऑडिटर की रिपोट) आदेश, 2020 के तहत रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में उल्लेखित अनुलग्नक, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. माननीय भारत सरकार के निर्णय के आधार पर, कंपनी ने एमएसटीसी ई-नीलामी के माध्यम से सभी चल संपत्ति का निपटान किया है।

   क) 31.03.2023 तक कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

   ख) इस तथ्य के कारण कि कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, अचल संपत्ति के भौतिक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम कंपनी पर लागू नहीं होता है।

   ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

   घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और उपरोक्त बिंदुएं (ए), (बी) और (सी) की निरंतरता में, कंपनी के पास कोई संपत्ति नहीं है और ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कोई नई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है। इसलिए कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की बात कंपनी पर लागू नहीं होता है।

   ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति निषेध लेनदेन अधिनियम, 1988 और नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

2. क) कंपनी ने बहुत पहले ही वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं हैं, तदनुसार, प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन लागू नहीं है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को सुरक्षा अन्य वर्तमान संपत्ति के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए हमारी रया में, आदेश का खंड 3 (ii) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

3. वर्ष के दौरान, अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी भी कंपनी, फर्मो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों में कंपनी ने निवेश नहीं किया, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं किया, सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति के ऋणों में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है ना ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट, कंपनी ने कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

5. कंपनी ने जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे वर्ष के दौरान जनता से जमा माना जाता है और 31 मार्च 2022 तक कोई जमा राशि नहीं है और इसलिए, आदेश का खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार कंपनी पर लागत रिकॉर्ड का रखरखाव लागू नहीं है और इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

7. वैधानिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

   क) कंपनी के अभिलेखों की जांच, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देयताओं सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती / अर्जित देय को आम तौर पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा किया जाता है।

   ख) भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक देय राशि के संबंध में 31 मार्च, 2023 को जिस तारीख से वे देय हो गए से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित राशि देय नहीं है।

   ग) माल और सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क और उपकर का कोई बकाया नहीं है, जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन का सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

9. ऋण और उधार के संबंध में

   क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान भारत सरकार को देय राशि को छोडकर, किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है, जैसा कि नीचे विस्तृत है :

   भारत सरकार को सावधि ऋण - रु. 5392 लाख

   भारत सरकार को देय राशि - रु. 5522 लाख

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

   ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

   घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि के आधार पर जुटाए गए किसी भी निधी का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(ix)(ई) लागू नहीं होता है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(ix)(एफ) लागू नहीं होता है।

10. शेयर जारी करने के संबंध में

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

11. धोखाधड़ी के संबंध में हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते है:

क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई वास्तविक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म ADT-4 में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई मुखबिर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xi)(सी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश का खंड 3 (xiii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

13. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कुछ हद तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण का खुलासा वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, खंड 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

17. चालू वर्ष में कंपनी को रु. 19.80 लाख का नकद मुनाफा और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रु. 17.97 लाख का नकद घाटा हुआ है।

18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों से कोई त्यागपत्र नहीं लिया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल का हमारा ज्ञान और प्रबंधन योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हम मानते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार सामग्री अनिश्चितता है कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

20. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xx)(a) और 3(xx)(b) लागू नहीं होते है।

21. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की कोई सहयक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, वित्तीय विवरणों का समेकन और आदेश का खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 003654एस)

सीए. एस. श्रीनिवास
भागीदार
सदस्यता संख्या:007951
यूडीआईएन : 23007951BHAVES2718

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023

सांविधिक लेखापरीक्षक के अवलोकन और प्रबंधन उत्तर

क्र. स.	लेखापरीक्षक के अवलोकन	प्रबंधन उत्तर
1.	**टिप्पणी सं : 13.26 - गोइंग कंसर्न** कंपनी ने लांबे समय से वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया है और इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। चूंकि कंपनी समापन की प्रक्रिया में है, इसलिए कंपनी के खातों की तैयारी, गोइंग कंसर्न बनने की अवधारणा लेखांकन मानक - 1 लेखा नीतियों का प्रकटीकरण के अनुसार पालन नहीं किया गया है। इसलिए, कंपनी की सभी संपत्तियों और देनदारियां रिपोर्टिंग तिथि पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।	जैसा कि देखा गया है और कंपनी समापन की प्रक्रिया में है, कंपनी के खातों की तैयारी के लिए, गोइंग कंसर्न की अवधारणा का पालन नहीं किया गया है, कंपनी की सभी संपत्तियां और देनदारियां रिपोर्टिंग तिथि परशुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है।
2.	**टिप्पणी सं : 13.17 - कंपनी के अन्य चालू देयताएं रु. 55.34 करोड़** 2018-19, 2019-20 और 2020-21 को समाप्त हुए वर्षों के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण में अन्य चालू देयताएं को कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड (जनवरी 2019) को भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि के गलत लेखांकन के कारण रु. 55.23 करोड़ से अधिक बताया गया था जो निम्नलिखित के मद्देनजर भारत सरकार को देय है : i) भारत सरकार ने 2016-17 के दौरान ऋण को खारिज कर दिया था। ii) कंपनी ने 2016-17 के दौरान भारत सरकार के ऋण और रु. 467.07 करोड़ के ब्याज को पहले ही खारिज कर दिया था। iii) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 18.01.2018 के पत्र के माध्यम से कंपनी को चल और अचल संपत्ति की बिक्री आय से सभी संस्थाओं के लिए कंपनी द्वारा बकाया दावों/देयताओं को निपटाने का निर्देश दिया था। पिछले वर्षों में इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	2016-17 के दौरान भारत सरकार के ऋण और रु 467.07 करोड़ के ब्याज को खारिज करने के बाद, भारत सरकार ने टीएसपीएल की अचल संपत्तियों पर अधिकार मान लिया और कंपनी केवल संपत्तियों की संरक्षक है। चूंकि संपत्ति भारत सरकार की है, इसलिए बिक्री से प्राप्त राशि को भारत सरकार के खाते में जमा किया जाना आवश्यक है। हालांकि, कंपनी ने सरकार के आदेश संख्या 6(3)/2011-पीई.IV दिनांक 18 जनवरी 2018 के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 से लंबित देनदारियों के निपटारे के लिए मुख्य रूप से आयकर बकाया यानी पूंजीगत लाभ कर/एमएटी के लिए धनराशि रखी है। तदनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरण सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप भी हैं।

निदेशक मंडल की आज्ञा से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

ह/-
(वाई. के. वैश्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 27/07/2023

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर भारत के महा लेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणी :

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक धारा 143 के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा उनके द्वारा 12 जून 2023 की ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखा-परीक्षक की ओर

(एम एस सुब्रमण्यम)
वाणिज्य लेखा परीक्षा के मुख्य निदेशक
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 07 जुलाई 2023

यथा 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

	टिप्पणी	यथा 31.03.2023 को		यथा 31.03.2022 को	
I. इक्विटी एवं देयताएं					
1. अंशधारियों की निधियाँ	**1**				
(ए) अंश पूँजी		843.50		843.50	
(बी) संचित एवं अधिशेष		(10,704.57)		(10,724.36)	
(सी) शेयर वारंट के बदले धन प्राप्त		-		-	
(डी) शेयर आवेदन से धन प्राप्त		-		-	
			(9,861.07)		**(9,880.86)**
2. गैर चालू देयताएं	**2**				
(ए) दीर्घकालिन ऋण		5,392.00		5,392.00	
(बी) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-		-	
(सी) अन्य दीर्घकालिन देयताएं		-		-	
(डी) दीर्घकालिन प्रावधान		-		-	
			5,392.00		**5,392.00**
3. चालू देयताएं	**3**				
(ए) अल्पकालिन ऋण		-		-	
(बी) व्यापार देयताएं					
एसएमई को बकाया राशि		-		-	
एसएमई के अलावा अन्य को बकाया राशि		-		-	
(सी) अन्य चालू देयताएं		5,525.07		5,542.24	
(डी) अल्पकालिन प्रावधान		0.32		0.35	
			5,525.39		**5,542.59**
कुल			**1,056.32**		**1,053.73**
II परिसंपत्तियां					
4. गैर चालू परिसंपत्तियां	**4**				
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां					
(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		-		-	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
(iii) पूंजी कार्य प्रगति पर		-		-	
(iv) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
(बी) गैर चालू निवेश		-		-	
(सी) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-		-	
(डी) दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम		-		-	
(ई) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		-		-	
			-		-

यथा 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

	टिप्पणी	यथा 31.03.2023 को		यथा 31.03.2022 को	
5. चालू परिसंपत्तियां	**5**				
(ए) चालू निवेश		-		-	
(बी) इन्वेंटरी		-		-	
(सी) ट्रेड प्राप्य		-		-	
(डी) नकद और नकदी समतुल्य		1,048.82		1,049.22	
(ई) अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम		-		-	
(एफ) अन्य चालू परिसंपत्तियां		7.50		4.51	
			1,056.32		**1,053.73**
कुल			**1,056.32**		**1,053.73**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और खातों के लिए नोट	**13**				

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:003654S

सीए. एस. श्रीनिवास
भागीदार
सदस्यता संख्या:007951

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

सुश्मा बत्रा
निदेशक
डीआईएन : 09751794

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023
यूडीआईएन : 23007951BHAVES2718

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(₹ लाखों में)

		टिप्पणी	यथा 31.03.2023 को		यथा 31.03.2022 को	
निरंतर संचालन						
I.	प्रचालन से राजस्व	**6**	-		-	
II.	अन्य आय	**7**	42.11		19.31	
II.	**कुल राजस्व (I + II)**			42.11		19.31
IV.	**व्यय**					
	खपत सामग्री की लागत	**8**	-		-	
	तैयार माल, प्रगती में कार्य एवं स्टॉक-इन-ट्रेड के इन्वेंटरी में परिवर्तन	**9**	-		-	
	कर्मचारी लाभ व्यय	**10**	-		-	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		-		-	
	वित्तीय लागत	**11**	0.01		0.01	
	प्रशासन और अन्य व्यय	**12**	22.31		37.27	
	कुल व्यय			22.32		37.28
V.	असाधारण और असाधारण वस्तओं और कर पूर्व लाभ (III-IV)			19.80		(17.97)
VI.	असाधारण मदें			-		-
VII.	असाधारण वस्तओं और कर पूर्व लाभ (V-VI)			19.80		(17.97)
VIII.	असाधारण मदें			-		-
IX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)			19.80		(17.97)
X.	**कर व्यय**					
	(1) वर्तमान कर		-		-	
	(2) स्थगित कर		-		-	
	(3) पिछले साल का कर (Note 13.25)		-		(975.03)	
				-		(975.03)
XI.	**कर पश्चात लाभ (IX - X)**			**19.80**		**957.06**
XII.	बंद किए गए प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ / (हानि)			-		-
XII.	बंद किए गए प्रचालनों से कर व्यय			-		-
XIV.	बंद किए गए प्रचालनों के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)			-		-
XV.	**अवधि के लिए लाभ / (हानि) (XI + XIV)**			**19.80**		**957.06**
XVI.	**प्रति इक्विटी पर उपार्जन:**					
	(1) मूल			0.00		0.01
	(2) डायल्यूटेड			0.00		0.01

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें **13**

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:003654S

सीए. एस. श्रीनिवास
भागीदार
सदस्यता संख्या:007951

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023
यूडीआईएन : 23007951BHAVES2718

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

सुश्मा बत्रा
निदेशक
डीआईएन : 09751794

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणियां

(₹ लाखों में)

	2022-2023	2021-2022
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड		
कराधान से पहले लाभ	19.80	957.06
के लिए समायोजन :		
जोडिए :		
मूल्यह्रास	-	-
वित्तीय वर्ष 17-18 के लिए प्राप्त कर वापसी	-	-
आयकर के लिए प्रावधान	-	(975.03)
घटाए :		
ब्याज आय	(42.11)	(19.31)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
व्यापार और अन्य प्राप्य में (वृद्धि) / कमी	-	1.99
इन्वेंटरी में (वृद्धि) / कमी	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(2.99)	(3.74)
अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	-	-
दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	-	0.02
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(0.01)	5.27
अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि) / कमी	(17.17)	(2.04)
अन्य ट्रेड देनदारियों में (वृद्धि) / कमी	-	-
अल्पकालिन प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी	(0.03)	-
संचालन से उत्पन्न रोकड	**(42.51)**	**(35.77)**
ब्याज भुगतान	-	-
आयकर के लिए प्रावधान	-	975.03
संचालनीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड	**(42.51)**	**939.26**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
ब्याज आय	42.11	19.31
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**42.11**	**19.31**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सरकार से प्राप्त अनुदान से आय	-	-
लंबी अवधि के उधार से आय	-	-
वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**-**	**-**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि	**(0.40)**	**958.57**
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**1,049.22**	**90.65**
अवधि की अंत में नकद और नकद समकक्ष	**1,048.83**	**1,049.22**

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:003654S

सीए. एस. श्रीनिवास
भागीदार
सदस्यता संख्या:007951
स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023
यूडीआईएन : 23007951BHAVES2718

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

सुश्मा बत्रा
निदेशक
डीआईएन : 09751794

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
टिप्पणी संख्या 1(ए) - शेयर पूँजी		
अधिकृत शेयर पूँजी :		
प्रत्येक 1000 रुपये के 1,00,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000 रुपये के 1,00,000 इक्विटी शेयर)	**1,000.00**	1,000.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूँजी :		
प्रत्येक 1000 रुपये के 84,350 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000 रुपये के 84,350 इक्विटी शेयर)	**843.50**	843.50
कुल	**843.50**	843.50

शेयर का विच्छेद

विवरण	यथा 31 मार्च 2023 को		यथा 31 मार्च 2022 को	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	84,350	843.50	84,350	843.50
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष की अंत में बकाया शेयर	**84,350**	**843.50**	**84,350**	**843.50**

शेयरधारक का विवरण

इक्विटी शेयर पूँजी

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च 2023 को		यथा 31 मार्च 2022 को	
	शेयर की संख्या	धारक का %	शेयर की संख्या	धारक का %
भारत सरकार	66,900	79.32%	66,900	79.32%
आंध्र प्रदेश सरकार	10,050	11.91%	10,050	11.91%
कर्नाटक सरकार	7,400	8.77%	7,400	8.77%
कुल	**84,350**	**100.00%**	**84,350**	**100.00%**

अधिमान शेयर पूँजी

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च 2023 को		यथा 31 मार्च 2022 को	
	शेयर की संख्या	धारक का %	शेयर की संख्या	धारक का %
शून्य				
कुल	-	-	-	-

ii) संवर्धक का शेयरधारण

क्र.	शेयरधारक का नाम	वर्षारंभ में शेयरधारण			वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	वर्षांत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान धारक का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	% शेयरों की कंपनी के कुल शेयरों का भारग्रस्त बंधित		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	% शेयरों की कंपनी के कुल शेयरों का भारग्रस्त बंधित	
1.	भारत सरकार	66900	79	NIL		66900	79	NIL	NIL
2.	आंध्र प्रदेश सरकार	10050	12	NIL		10050	12	NIL	NIL
3.	कर्नाटक सरकार	7400	9	NIL		7400	9	NIL	NIL

iii) संवर्धक के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो, तो भी उसका उल्लेख करें) - कोई परिवर्तन नहीं

क्र.		वर्षारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरुआत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान वृध्दि घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए संवर्धक के शेयरधारण की तारीखवार वृध्दि घटाव उदा आबंटन हस्तांतरण बोनस स्वीट इक्विटी आदि	0	0	0	0
	वर्षांत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iv) प्रथम दस शेयरधारकों का शेयरधारण का प्रतिमान (निदेशक, संवर्धक तथा जीडीआर व एडीआर धारकों के अतिरिक्त)

क्र.	शेयरधारक का नाम	वर्षारंभ में शेयरधारण		तारिख	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	भारत सरकार	66900	79	-	-	-	66900	79
2.	आंध्र प्रदेश सरकार	10050	12	-	-	-	10050	12
3.	कर्नाटक सरकार	7400	9	-	-	-	7400	9

टिप्पणी संख्या 1(बी) - आरक्षित और अधिशेष

- लाभ एवं हानि लेखा		
- प्रारंभिक शेष	(10,724.36)	(11,681.42)
जोडिए : वित्तीय वर्ष 17-18 के लिए प्राप्त कर वापसी		
जोडिए : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	19.80	957.06
	(10,704.57)	(10,724.36)
घटाइए : प्रस्तावित लाभांश	-	-
लाभांश वितरण कर के लिए प्रावधान	-	-
अंतिम शेष	(10,704.57)	(10,724.36)
सरकारी अनुदान	-	-
कुल	**(10,704.57)**	**(10,724.36)**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
टिप्पणी संख्या 2(ए) - दीर्घकालिन उधार		
- असुरक्षित ऋण	-	-
भारत सरकार से अवधि ऋण	5,392.00	5,392.00
कुल	**5,392.00**	**5,392.00**
टिप्पणी संख्या 2(बी) - दीर्घकालिन प्रावधान		
दीर्घकालिन प्रावधान	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 3(ए) - अल्पकालिन उधार		
अल्पकालिन उधार	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 3(बी) - ट्रेड देय		
लेनदारों - आपूर्तिकर्ताओं और अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

व्यापार देय उम्र बढ़ने की अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया है						
	बिल नहीं किया	भुगतान देय नहीं है	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) एमएसएमई							
(ii) अन्य							
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई							
(iv) विवादित बकाया - अन्य							

टिप्पणी संख्या 3(सी) - अन्य चालू देनदारियां		
अन्य देनदारियां		
- भारत सरकार को देय	5,522.88	5,522.88
- ठेकेदारों और अन्य से जमा	-	-
- अन्य देनदारि जिनमें सीआईएसएफ को शेष राशि देय	2.04	7.45
- वैधानिक बकाया	0.15	11.91
कुल	**5,525.07**	**5,542.24**
टिप्पणी संख्या 3(डी) - अल्पकालिन प्रावधान		
आयकर के लिए प्रावधान	-	-
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए प्रावधान	0.32	0.35
कुल	**0.32**	**0.35**
टिप्पणी संख्या 4(डी) - दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम		
- सुरक्षा जमा	-	-
घटाइए : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
टिप्पणी संख्या 4(ई) - अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		
लाइसेंस शुल्क प्राप्त	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 5(बी) - इन्वेंटरी	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 5(सी) - ट्रेड प्राप्य		
- भुगतान के लिए देय तिथि से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए ट्रेड प्राप्य बकाया है	-	484.16
- अन्य ट्रेड प्राप्य - असुरक्षित और अच्छा माना गया है	-	-
घटाइए : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-	(484.16)
कुल	**-**	**-**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया है							
	देय नहीं	बिल न किया गया राजस्व	छह माह से कम	छह माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है								
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है								
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है								
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है								

टिप्पणी संख्या 5(डी) - नकद और नकद समकक्ष		
नकद (पास में)	-	-
बैंक में नकद		
चालू खाते	5.56	67.60
मियादी जमा	1,043.26	981.62
कुल	**1,048.82**	**1,049.22**
टिप्पणी संख्या 5(ई) - अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 5(एफ) - अन्य चालू परिसंपत्तियां		
सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि	-	-
बैंक और अन्य जमा पर ब्याज अर्जित	3.30	2.38
टीडीएस प्राप्य	4.21	1.73
अन्य	-	0.40
कुल	**7.50**	**4.51**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
टिप्पणी संख्या 6 - प्रचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	-	-
सेवाओं की बिक्री	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी संख्या 7 - अन्य आय		
ब्याज आय	42.07	15.23
आयकर रिफंड पर ब्याज	0.04	0.15
पिछले वर्ष बट्टे खाते में डाला गया ब्याज अब प्राप्त हुआ	-	-
अन्य आय (प्रवधान की अब आवश्यकता नहीं है)	-	3.93
कुल	**42.11**	**19.31**
टिप्पणी संख्या 8 - खरीदी गई सामग्री की लागत		
सामग्री की खरीदी	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी संख्या 9 - तैयार माल, प्रगति में कार्य एवं स्टॉक-इन-ट्रेड के इन्वेंटरी में परिवर्तन		
प्रारंभिक माल :		
- कच्चा माल	-	-
- प्रगति में कार्य	-	-
- तैयार माल	-	-
	-	-
अंतिम माल :		
- कच्चा माल		
- प्रगति में कार्य	-	-
- तैयार माल	-	-
	-	-
वृद्धि / (कमी)	-	-
टिप्पणी संख्या 10 - कर्मचारी लाभ व्यय		
कर्मचारी लाभ	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी संख्या 11 - वित्तीय लागत		
पर ब्याज		
भारत सरकार का ऋण	-	-
अन्य	-	-
बैंक प्रभार	0.01	0.01
कुल	**0.01**	**0.01**
टिप्पणी संख्या 12 - प्रशासन और अन्य व्यय		
प्रशासन व्यय		
किराया	9.52	8.94
दर एवं कर (पीएफ ब्याज और जुर्माना)	1.42	19.96
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.50	0.59
कानूनी और पेशेवर शुल्क	-	-
डाक और टेलीफोन खर्च	-	-
मुद्रण और लेखा सामग्री	0.88	0.36
परामर्श खर्च	7.15	4.80
वाहन और कैन्टीन भत्ता	1.74	1.30
विविध व्यय	1.10	1.32
कुल	**22.31**	**37.27**

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यह्रास का विवरण

टिप्पणी संख्या 4 - गैर चालू परिसंपत्तियां - (ए) संपत्ति, सयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

	सकल खंड			मूल्यह्रास			कुल खंड	
परिसंपत्ति का नाम	**यथा 01.04.2022**	**वर्ष के दौरान परिवर्धन**	**यथा 31.3.2023**	**31.3.2022 तक**	**वर्ष के लिए**	**31.03.2023 तक**	**यथा 31.03.2022**	**यथा 31.3.2023**
i) संपत्ति, सयंत्र और उपकरण								
पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यशाला एवं यंत्र	-	-	-	-	-	-	-	-
मिनी हाइडल पावर प्लांट	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्युत संस्थापन तथा उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय तथा डिजाइन उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
फर्नीचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-
डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल खंड	-	-	-	-	-	-	-	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023

अतिरिक्त प्रकटीकरण

(i) अचल संपत्ति का शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम से धारित शीर्षक विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रवर्तक/निदेशक या प्रवर्तक*/निदेशक का रिश्तेदार या प्रवर्तक/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने के कारण**
पीपीई -	भूमि भवन	-	-	-	-	-
संपत्ति में निवेश -	भूमि भवन	-	-	-	-	-
पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए रखा गया	भूमि भवन	-	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	-	-

(ii) पूंजी-कार्य-प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(ए) सीडब्ल्यूआईपी उम्र बढ़ने की अनुसूची **(रकम रु. में)**

सीडब्ल्यूआईपी	सीडब्ल्यूआईपी में राशि - अवधि के लिए				कुल*
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
परियोजनाएं प्रगति पर					
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					

(बी) पूंजी-कार्य-प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में अधिक है।

सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा
परियोजना 1				
परियोजना 2				

** परियोजनाओं का विवरण जहां गतिविधि की गई है

(iii) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति :

(ए) विकास उम्र बढ़ने की अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	सीडब्ल्यूआईपी में राशि - अवधि के लिए				कुल*
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
परियोजनाएं प्रगति पर					
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					

* बैलेंस शीट में विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की राशि के साथ कुल मिलान होगा।

(बी) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों के लिए, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है, विकास पूर्णता अनुसूची के तहत निम्नलिखित अमूर्त संपत्तियां दी जाएंगी**

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा
परियोजना 1				
परियोजना 2				

(iv) प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रुप से ऋण या अग्रिम दिए जाते है, जो है :

ए) मांग पर चुकाने योग्य या

बी) चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना

उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	कुल ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	कुल ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों का प्रतिशत
प्रवर्तक				
निदेशक				
केएमपी				
संबंधित पार्टियां				

(v) बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध

जहां कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन होता है तो, कंपनी निम्नलिखित विवरणों का खुलासा करेगी :

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना
	प्रतिभूतियों में निवेश	0	
	प्राप्तियां	0	
	देय	0	
	बंद कंपनी द्वारा रखे गए शेयर	0	
	अन्य बकाया राशि (निर्दिष्ट किया जाए)	0	

(vi) अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपात	अंश-गणक	विभाजक	वर्तमान अवधि	गत अवधि	भिन्नता %	भिन्नता का कारण
ए)	वर्तमान अनुपात	1,056.32	5,525.39	0.1912	0.19012	0.00558	
बी)	ऋण इक्विटी अनुपात	5,392.00	(9,861.07)	-0.5468	-0.54570	0.00201	
सी)	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	19.80	5,392.00	0.0037	-0.00333	-2.10201	
डी)	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	19.80	843.50	0.0235	-0.02130	-2.10201	
ई)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	-	-	0.0000	0.00000	0.00000	
एफ)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	-	-	0.0000	0.00000	0.00000	
जी)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	-	-	0.0000	0.00000	0.00000	
एच)	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	-	(4,469.07)	0.0000	0.00000	0.00000	
आई)	शुद्ध लाभ अनुपात	19.80	-	0.0000	0.00000	0.00000	
जे)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	19.80	(4,469.07)	-0.0044	0.00400	-2.10689	

क्र. सं.	अनुपात	अंश-गणक	विभाजक
ए)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां
बी)	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी
सी)	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा
डी)	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	कर पश्चात शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी
ई)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागात या बिक्री	औसत मालसूची
एफ)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	कुल क्रेडिट बिक्री	प्राप्य औसत लेखा
जी)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	कुल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय
एच)	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी
आई)	शुद्ध लाभ अनुपात	कुल लाभ	कुल बिक्री
जे)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले कमाई	नियोजित पूंजी

टिप्पणी संख्या - 13 - महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ

13.1 सहायता अनुदान

प्राप्त पूंजी / राजस्व सहायता अनुदान को संबंधित पूंजी / राजस्व व्यय से कम किया गया है।

13.2. अचल परिसंपत्तियां

ए) पूंजीकरण :

i. सकल खंड को ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

ii. आंतरिक निर्मित औजारों का मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया गया है।

iii. समापन प्रमाण पत्र के आधार पर भवनों का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण उपभोक्ता को निर्गम के आधार पर किया गया है।

iv. अचल परिसंपत्तियों के व्यक्तिगत मूल्य रु. 5000/- और कम के अतिरिक्त प्रत्येक को व्यय में डाल दिया गया है।

v. परिसंपत्तियों के निपटान में होनेवाले फायदे/नुकसान को लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट / चार्ज किया गया है।

बी) मूल्यह्रास :

कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधित अनुसूची - II के अनुसार मूल्यह्रास सीधी रेखा प्रणाली पर किया गया है।

13.3 निवेश का मूल्यांकन :

निवेश की दीर्घ अवधि के संदर्भ में निवेश के लिए वाहित राशि कीमत और शुद्ध मूल्य / अंकित मूल्य से कम है, जहाँ निवेश में स्थाई पतन है, वाहित राशि पतन को पहचानने में कम है।

13.4 इन्वेंटरी का मूल्यांकन

ए) कच्चा माल, पुर्जे, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे तथा अन्य सामग्री :

i. कच्चा माल, पुर्जे, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे तथा अन्य उपयोगी कटे भागों का मूल्याँकन लागत के न्यूनतम एवं कुल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

ii. लागत में सम्मिलित है खरीद की लागत, परिवर्तन करने की लागत और अन्य लागतों जो माल को उनके वर्तमान स्थान एवं स्थितियों में लाने हेतु खर्च की जाती है और इसे औसत भार विधि से पहँचा गया है।

iii. रद्दी तथा अवशिष्ट जैसे जस्ता भस्म, जस्ता लौहमल, कतरन, छेदन इत्यादि का मूल्याँकन निवल (शुद्ध) वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया गया है।

iv. अपने आदेशों के कार्यान्वयन के लिए लागत की वसूली के आधार पर ग्राहकों द्वारा दिए गए माल को कंपनी की इन्वेंटरी में दर्शाया गया है और माल के निर्गत होने पर उसे उपभोग जैसे लेखांकित किया गया है। मुक्त निर्गत प्राप्त माल को कंपनी की मालसूची में नहीं लिया गया है।

v. मशीनों के खरीदने के साथ-साथ प्राप्त फुटकर भागों को लागत पर इन्वेंटरी में ले लिया गया है। जहाँ ऐसे फुटकर भागों की लागत का ब्यौरा प्राप्य नहीं है, वहाँ केवल संख्यात्मक लेखा ही रखा गया है।

vi. कागजात तथा दवाओं की प्राप्ति पर, व्यय के रूप में चार्ज किया गया है।

vii. अचल इन्वेंटरी का प्रावधान तकनीकी मूल्याँकन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

बी) फुटकर औजार

फुटकर औजार जिनकी लागत व्यक्तिगत रूप से रु. 250/- या कम है को निर्गत होने पर चार्ज किया गया है और वे जिनका व्यक्तिगत मूल्य रु. 250/- से ज्यादा है, वहाँ उसके मूल्य को निर्गत वर्ष को सम्मिलित करते हुए पाँच वर्षों में समान रूप से चार्ज किया गया है।

सी) संविदागत कार्य प्रगति में

संविदागत कार्य प्रगति में का मूल्य लेखा अवधि के अंत में कार्य के प्रगति के चरण को देखते हुए तकनीकी अनुमान पर आधारित है तथा संविदागत क्रिया को औसत समापन के रूप में प्रकट किया गया है। कार्य प्रगति में को लागत के न्यूनतम एवं अनुमानित लाभ या आंकलित बिक्री मूल्य पर वर्णित किया गया है। लागत में सम्मिलित है सभी व्यय जो सीधे संविदा की गतिविधि से संबंधित है तथा वे भी जो संविदा की गतिविधियों के लिए सामान्य रूप से उत्तरदायी है और विशेष संविदा के लिए बाँटे गये है।

रु 5 लाख के छोटे संविदाओं को उपरोक्त जैसा मूल्याँकित नहीं किया जाता है, परंतु इसे लागत के निम्न या अनुमानित विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

13.5. ट्रेड प्राप्य

व्यापार से प्राप्त होने योग्य राशियाँ मुख्यतः राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। शेष राशियों की वसूली योग्यता की समय-समय पर समीक्षा की गयी है। 15 वर्षों से अधिक पुराने ऋणों के मामले में संदेहात्मक ऋणों का लेखा पुस्तकों में प्रावधान संबंधित वर्ष में किया गया है।

13.6. पूर्व प्रदत्त व्यय

व्ययों को पूर्व प्रदत्त व्यय के अंतर्गत लेखा में तभी लिया गया है जब समाप्त न हुई अवधि से संबंधित रकम प्रत्येक मद में रु. 10000/- से अधिक होती है।

13.7 विदेशी मुद्रा का लेन-देन

ए) विदेशी मुद्रा में नामांकित राजस्व, व्यय और नकद प्रवाह मद प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किये गये है और विनिमय दर से प्रयोग करने के लिए लेन-देन के दिनांक से प्रभावित है। व्यवहारित लाभ या हानि विदेशी मुद्रा के लेन-देन के समझौते पर वसूल करने योग्य है, उस अवधि के लाभ या हानि के लिए शुद्ध लाभ के निर्धारण में शामिल की गई है जिसमें लेन-देन का समझौता हुआ था।

बी) विदेशी मुद्रा के मौद्रिक मद में रकम, परिसंपत्तियां एवं अन्य चालू देयताएं प्राप्त तथा अचल देय को तुलन पत्र के दिन पर स्थित विनिमय दर के अनुसार उपजित कुल आय/व्यय में दर्शाया गया है। गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन के समय विनिमय दर के अनुसार परिसंपत्तियां एवं देयताओं में दर्शाया गया है।

13.8 **विविध व्यय** (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाले गये या समायोजित किये गये)

तकनीकी जानकारी शुल्क

नये / विविध उत्पादों के विकास तथा निर्माण के लिए किये गये सहयोग अनुबंध के तहत प्राप्त तकनीकी के लिए भुगतान किए गये तकनीकी जानकारी शुल्क को अस्थगित राजस्व व्यय मानकर उसके संभावित प्रयोग की अवधि तक बट्टे खाते में डाल दिया गया है जो इस प्रकार की तकनीकी सहायता से आरंभ हुए प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन होने के वर्ष से मानी गयी है।

13.9 संविदाओं पर राजस्व मान्यता

(क) संविदाओं पर

राजस्व की पहचान एएस-7 के अनुसार की जाती है। इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकौंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण संविदाओं के लिए लेखा-जोखा राजस्व का निर्धारण समापन विधि की प्रतिशतता के आधार पर किया गया है। लाभ की गणना निम्नांकित आधार पर साख स्वरूप प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए की गयी है।

संविदा कार्य की समापन प्रतिशतता	मान्य लाभ की प्रतिशतता
0 - 29	शून्य
30 - 49	45
50 - 89	80
90 - 99	95
100	97.5

(i) संविदा की शर्तों के अनुसार ग्राहकों पर दावों को लेखा में बिक्री के रूप में लेखांकित किया गया है।

(i) इस्कालेशन दावों को संविदा में निर्धारित समापन की तारीख तक वृद्धि के आधार पर विक्रय के रूप में दर्शाया गया है। संविदा के अन्य दावों को प्राप्ति के आधार पर दर्शाया गया है।

(बी) ऊर्जा उत्पादन की बिक्री पर :

हुबली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) बिक्री के लिए लेखित माह के दौरान ऊर्जा इकाई उत्पादन के लिए दावा किया गया है।

13.10 दावें

ए. कंपनी द्वारा

निर्यात प्रोत्साहन, चुंगी वापसी शुल्क तथा बीमा/वाहकों के लिए कंपनी के दावों को जब कभी वे दायर किये जाते है तभी लेखांकित किया गया है।

बी. कंपनी के विरुद्ध दावें

कंपनी के विरूद्ध किये गये दावों को कंपनी द्वारा उन्हें स्वीकार किये जाने पर लेखांकित किया गया है।

13.11. अनुसंधान तथा विकास व्यय

अनुसंधान तथा विकास व्यय को, जिस वर्ष में हुआ, उसे लाभ एवं हानि लेखा में चार्ज किया गया है। किसी भी अनुसंधान तथा विकास से संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों के खर्च को दूसरे स्थायी परिसंपत्तियों के अनुसार प्रबंध किया गया है।

13.12. सेवा निवृत्ति लाभ

क. उपदान (ग्रेज्यूटी)

कर्मचारियों को देय वर्तमान उपदान दायित्व का प्रावधान जो भविष्य में देय है, के लिए वास्तविक मूल्याँकन के आधार पर किया गया है।

ख. सेवा निवृत्ति पर देय अवकाश नकदीकरण

कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर देय अवकाश नकदीकरण की वर्तमान दायित्व का प्रावधान वास्तविक मूल्याँकन के आधार पर किया गया है।

ग. व्यवस्था भत्ता

भवष्यि में कर्मचारियों को सेवा मुक्त उपरान्त मिलने वाले व्यवस्था भत्ता के लिए वर्तमान दायित्व का प्रावधान अनुमानित आधार पर किया गया है।

घ. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के भुगतान के संबंद्ध में हुए खर्च का लेखा स्वयं हो गया।

13.13. वारंटी:

संविदात्मक दायित्वों के लिए वारंटी प्रावधान यदि आपूर्ति किए गए गढ़े हुए भागों के संबंध में आपूर्ति वर्ष में प्रदान किया जाएगा।

13.14. पूर्वावधि के लेन देन

(i) पूर्वावधि से संबंधित भूल-चूक के रुप में किये गये आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में रु. 50000/- से अधिक न हो, को चालू वर्ष में किया गया आय / व्यय माना गया है।

(ii) प्रगति में चल रहे कार्यों से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय / आय को रकम की परवाह किये बिना जॉब (कार्यों) में चार्ज किया गया है।

13.15. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण 'नकद प्रवाह विवरण' पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:003654S
सीए. एस. श्रीनिवास
भागीदार
सदस्यता संख्या:007951
स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023
यूडीआईएन : 23007951BHAVES2718

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

सुश्मा बत्रा	**योगेंद्र कुमार वैश्य**
निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09751794	डीआईएन : 09260752

अन्य लेखा की टिप्पणियाँ

		31-03-2023 (₹ लाखों में)	31-03-2022 (₹ लाखों में)
13.16	**निम्नांकित के संबंध में आकस्मिक देयताएं**		
क)	कंपनी के विरुद्ध दावे न्यायिक निर्णय हेतु लंबित	शून्य	शून्य
ख)	अन्य दावे जिसको कंपनी ने ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है।	शून्य	शून्य
ग)	बैंक गारंटी के एवज में बैंकों को दी गई काउन्टर गारंटियां	शून्य	शून्य

अन्य दावों पर संक्षिप्त टिप्पणी जो कंपनी ने स्वीकार नहीं किए है :

i. कंपनी के पास तीन लंबित अदालती मामले है, जिनमें से दो मामले इलाहाबाद और धारवाड़ की अदालत में कर्मचारियों से संबंधित है, जहां भारत सरकार भी एक पक्षकार है। भारत सरकार ने रिट याचिका संख्या 29472-492/2016 में एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 01.10.2018 के खिलाफ जून 2021 के दौरान समीक्षा याचिका दायर की है और यह मामला कर्नाटक, धारवाड के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। हालांकि, कंपनी इन लंबित मामलों में किसी अतिरिक्त देनदारी का अनुमान नहीं लगाती है।

13.17 कंपनी ने दिसंबर 1973 में कनवेयन्स डीड के अनुसार भूमि का दायित्व कंपनी के पास आया लेकिन कंपनी ने जिस कार्य के लिए भूमि को लिया गया उस व्यवसाय को पूर्ण नहीं कर पायी। इस शर्तों के परिणाम स्वरूप कर्नाटक सरकार को भूमि बिल्डिंग का दायित्व की वापसी प्राप्त हुई। फिलहाल भारत सरकार को अचल परिसंपत्तियों टीएसपीएल का उत्तरदायित्व के बदले भारत सरकार के रु. 151.15 करोड़ को टीएसपीएल की परिसंपत्तियों का स्थानांतरण होने के स्थिति में खारिज करने की अनुमति दी। 27.03.2017 को सचिव, कर्नाटक सरकार तथा मेसर्स कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड में बैठक हुई। कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड ने केएचबी/एचसी/टीएसपीभूमि/होसपेटे/171/2017-18/530 दिनांक 14.06.2017 के अंतर्गत रु. 66 लाख प्रति एकड़ लेने का समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया गया।

भूमि कंपनी के कब्जे में थी और भारत सरकार के लिए एक संरक्षक के रूप में काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने रु. 55,22,88,000/- की बिक्री पर विचार के लिए केएचबी (कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड) को जमीन बेच दी है और उसी को भारत सरकार को वितरित किया जाना है या सरकारी आदेश में बताए गए उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने सरकारी आदेश दिनांक 07.01.2016 में इंगित मूल्य के आधार पर, उसी आधार पर पूंजीगत लाभ की पेशकश की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने जमीन को ऊपर विस्तृत रूप में बेच दिया है और रु. 55.22 करोड़ की राशि का एहसास किया है। वर्तमान में उक्त राशि को कंपनी की अन्य देनदारियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), ने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में टिप्पणी दी है कि भूमि की बिक्री से प्राप्त रु. 55.22 करोड़ की राशि को गलत तरीके से भारत सरकार (जीओआई) को देय के रूप में दिखाया गया है। कंपनी द्वारा देय /देयताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए था। कंपनी ने उपरोक्त मामले पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करके एक राय प्राप्त की है। विशेष लेखा परीक्षक ने कहा है कि संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना समयबाधित था और कंपनी अब संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं कर सकती है और इसे ठीक नहीं कर सकती है।

इसके अलावा, चूंकि भूमि की बिक्री से संबंधित लेन-देन पहले से ही वर्ष 2016-17 में काल्पनिक आधार पर दर्ज किया गया है और खातों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। स्वीकृत खाता डीएचआई और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के साथ दायर किया गया है, और इसलिए कंपनी खातों की किताबों में इन सुधारों को शामिल नहीं कर सकती है।

इसके अलावा, कंपनी को एक राय मिली है कि भले ही खातों को वास्तविक बिक्री के आधार पर पूंजीगत लाभ दिखाने के लिए संशोधित किया गया हो, पूंजीगत लाभ पर अतिरिक्त राजस्व को उलट देना होगा। इसके अलावा, भारत सरकार को देय राशि (जो कल्पित पूंजीगत लाभ से प्राप्त लाभ के विरुद्ध समायोजित की गई थी) को उलट कर आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह भारत सरकार को देय नहीं होगी। यह उपचार से कंपनी के हाथ में आय होगी और कंपनी को नियमित दरों पर कर का भुगतान करना होगा, जो कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान @ 30% था। इसमें कंपनी के हाथों में अतिरिक्त कर प्रवाह शामिल होगा।

13.18 12.06.2016 को बीआईएफआर के सुनवाई में उनके पूर्व राय जो कंपनी को एसआईसीए 20(1) धारा के अनुसार बंद करने की पुष्टि की जिसे उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार के ऋण एवं ब्याज के खारिज करने से कंपनी का नेटवर्थ सकारात्मक रहा। कंपनी ने बीआईएफआर तथा एएआईएफआर के सामने अपील दर्ज की और दिनांक 06.09.2019 को सिक्क इंडस्ट्रीयल कंपनी अधिनियम 1985 के दायरे में एएआईएफआर ने टीएसपीएल के मुक्ति का आदेस जारी किया।

13.19 कंपनी को वैधानिक बकाया और अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए रु. 53.92 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उपरोक्त राशि पत्र एफ संख्या 6(3)/2011-पीई-IV (वोल्यूम IV) दिनांक 29.07.2020 द्वारा स्वीकृत की गई थी। भारी उद्योग विभाग के उपर्युक्त पत्र के अनुसार इस राशि को सहायता अनुदान के रूप में माना जाना था। हालांकि कंपनी के अनुरोध के आधार पर भारी उद्योग विभाग ने अपने पत्र संख्या 6(3)/2008-पीई-IV/सीपीएसई II) दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से कंपनी के बंद होने तक ऋण के रूपांतरण को अनुदान में बदल दिया है।

13.20 कंपनी को बंद करने के कारण व्यापार की देने योग्य देनदारियाँ, व्यापार से प्राप्य, वसूली योग्य दावों, जमा एवं अग्रिम राशि में कुछ पुराने / असंबद्ध शेष राशियाँ हैं जिनका मिलान/समायोजन लंबित है। ऐसी शेष राशियों के संदर्भ में कोई पुष्टिकरण नहीं प्राप्त हुआ है। समायोजन, जैसे आवश्यक होंगे उन्हें संबंधित शेष राशियों के मिलान/समायोजन/वसूली के वर्ष में लेखाबद्ध किया जायेगा।

13.21 जैसा कि कंपनी के पास लघु उद्योग इकाईयों के रूप में पंजीकृत विविध लेनदारों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, लघु उद्योग इकाईयों को देय राशि, यदि कोई है, का विशेष प्रकटीकरण नहीं किया जा सका। फलस्वरूप, ब्याज देयता, यदि होती है, के लिए प्रावधान नहीं किया जा सका।

13.22 एएस 17 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि वर्ष के दौरान कारखाने में कोई जनशक्ति और उत्पादन गतिविधियां नहीं थी और कंपनी को बंद करने के मद्देनजर से।

13.23 आयकर

कंपनी को निर्धारण वर्ष 2017-18 का निर्धारण आदेश एफ.सं.264/एएसीटी8126एच/आईटीओ/डब्ल्यू-1/बीएलवाई/21-22 दिनांक 14.07.2021 प्राप्त हुआ है और दिनांक 02.11.2021 को रु. 972 लाख का रिफंड मिला है, पिछले वर्षों से संबंधित कर के तहत हिसाब लगाया गया है (भंडार एवं अधिशेष के तहत)। कंपनी ने अनवशोषित मूल्यह्रास और पिछले नुकसान पर विचार करने के लिए प्रधान आयकर आयुक्त, हुबली/गुलबर्गा के साथ एक सुधार आदेश दायर किया था। इस पर विचार किया गया है और कंपनी को राहत प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप रु. 972 लाख का रिफंड मिला है। उपरोक्त के अलावा, कंपनी को आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रु. 2.62 लाख का रिफंड भी मिला है। इसे पहले के वर्षों से संबंधित करों के तहत गिना गया है।

13.24 संबंधित पार्टी लेनदेन

संबंधित पार्टियों के नाम और संबंध की प्रकृति :

(i) जहां नियंत्रण मौजूद है
भारत सरकार - भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी

(ii) अन्य संबंधित पार्टियाँ जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन हुए है :

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति

वाई. के. वैश्य - निदेशक
सुश्मा बत्रा - निदेशक

आँकडों को हजार से पूर्ण करते हुए (राउन्ड ऑफ) लाख में प्रकट किया गया है।

13.25 पिछले वर्ष के आँकडों को जहाँ जरूरी समझा गया पुनःवर्गीकृत किया गया है जिससे वर्तमान वर्ष के आँकड़ों को सुनिश्चित किया जा सके।

13.26 जारी प्रचालन से

कंपनी समेटने का कार्य जारी है न की जारी प्रचालन। लेखा मानक 1 के लेखांकन नीतियां प्रकटन के अनुसार कंपनी की सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं मूल योग्य मूल्य के अनुसार दर्शायी गयी है।

13.27 बंद प्रचालन से

यूनियन कैबिनेट के दिनांक 22.12.2015 के निर्णयानुसार तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड सीपीएसई, भारी उद्योग विभाग के अधीन बंद किया गया। सीसीईए के निर्णयानुसार टीएसपीएल ने सभी कर्मचारी जो उस दिन कार्यरत थे को वीआरएस/वीएसएस

को पेश किया तथा बाकी कर्मचारियों को आईडी नियम के अनुसार छंटनी। तदनुसार, कंपनी ने 2015-16 के दौरान वीआरएस/वीएसएस को जारी किया। सभी कर्मचारियों ने इसे अपनाया तथा बंद करने के भाग के रूप में सेवामुक्त किया गया। अचल परिसंपत्तियों को एमएसटीसी के अंतर्गत बेचा गया। सीसीईए के निर्णयानुसार भाउवि/भारत सरकार के पास अचल परिसंपत्तियों के स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार मंत्रालय / विभाग / उपक्रम / जैसा कि उपर कहा गया है का अधिकार जारी है, भूमि को राज्य सरकार को या अन्य संस्थानों को बेचा / स्थानांतरित किया जा सकता है।

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते सत्या श्रीनिवास एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:003654S

सीए. एस. श्रीनिवास
भागीदार
सदस्यता संख्या:007951

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 12/06/2023
यूडीआईएन : 23007951BHAVES2718

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

सुश्मा बत्रा
निदेशक
डीआईएन : 09751794

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

दस वर्षीय संकलन

(₹ लाखों में)

क्रमांक	विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
1	उत्पादन का मूल्य	-	-	-	-	-	-	5	5	37	61	55	303
2	विक्रय	-	-	-	-	-	-	5	5	37	61	117	279
3	मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर के पूर्व सकल लाभ	42	19	5	23	19	124	48,183	(1,218)	(22)	(243)	(329)	(90)
4	मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	38	38	55	55	55
5	सकल लाभ	42	19	5	23	19	124	48,183	(1,256)	(60)	(298)	(384)	(145)
6	ब्याज :												
	ए) सरकारी	-	-	-	-	-	-	-	2,190	2,827	2,749	2,691	2,644
	बी) अन्य	22	37	37	(492)	(1,740)	1,265	241	-	-	-	1	8
7	कर पूर्व लाभ	20	(18)	(33)	(469)	(1,721)	(1,140)	47,942	(3,446)	(2,887)	(3,191)	(3,115)	(2,875)
8	कर के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	7,409	-	-	-	-	-
9	कर पश्चात लाभ	20	957	(778)	(169)	(2,655)	(1,142)	40,533	(3,446)	(2,887)	(3,191)	(3,115)	(2,875)
10	सकल ब्लॉक	-	-	-	-	-	-	-	1,998	2,033	2,056	2,058	2,058
11	निवल ब्लॉक	-	-	-	-	-	-	-	253	297	338	393	448
12	कार्यशील पूँजी	(9,861)	(9,881)	(10,838)	(10,060)	(9,891)	(7,236)	(6,094)	(42,584)	(29,713)	(26,904)	(24,091)	(21,447)
13	दीर्घकालीन ऋण	-	-	-	-	-	-	-	15,109	11,300	11,127	10,730	10,468
14	नगद उधार सहित अल्पकालीन ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	1,209	1,341	1,435	1,316
15	अंश पूंजी	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
16	आरक्षित पूँजी एवं अधिशेष	(10,705)	(10,724)	(11,681)	(10,903)	(10,734)	(8,080)	(6,937)	(47,470)	(44,023)	(41,131)	(37,940)	(34,825)
17	नियोजित पूँजी	(9,861)	(9,881)	(10,838)	(10,060)	(9,891)	(7,236)	(6,094)	(29,420)	(29,420)	(26,567)	(23,697)	(20,999)
18	वास्तविक मूल्य	(9,861)	(9,881)	(10,838)	(10,060)	(9,891)	(7,236)	(6,094)	(46,626)	(43,180)	(40,287)	(37,097)	(33,982)
19	कर्मचारियों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	75	84	93	98
20	जोड़ा गया मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-	28	51	14	212
21	वेतन, मजदूरी तथा हितलाभ	-	-	-	-	-	-	-	226	307	322	309	300
22	प्रति कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	2
23	मजदूरी के प्रत्येक रुपये में जोड़ा गया मूल्य (रु)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
24	राजकोष में योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	18
25	आंतरिक स्त्रोतों से उत्पत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	निर्यात, जिसमें मान लिया गया निर्यात शामिल है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	बिक्री में वेतन तथा मजदूरी के प्रति प्रतिशतता (%)	-	-	-	-	-	-	-	4,520	830	526	263	108
28	उत्पादन के लिए उपयुक्त सामग्री की प्रतिशतता (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	25
29	उत्पादन दिनों की संख्या के प्रति इन्वेंट्री	-	-	-	-	-	-	-	-	657	409	457	114
30	बिक्री के दिनों की संख्या के प्रति विविध देनदार	-	-	-	-	-	-	-	-	525	244	823	256